

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
पीठासीन अधिकारी मोहन लाल खटनावलिया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 07/2022

सायल	बनाम	गैर सायल
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर		राकेश पुत्र सायर राम जाति सांसी निवासी सांसी बस्ती जाजोलाई नाडी नागौर पुलिस थाना कोतवाली नागौर, जिला नागौर।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3) राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975
निर्णय

दिनांक 20.07.2022

1-जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर ने सहायक लोक अभियोजक नागौर के माध्यम से गैर सायल राकेश पुत्र सायर राम जाति सांसी निवासी सांसी बस्ती जाजोलाई नाडी नागौर पुलिस थाना कोतवाली नागौर, जिला नागौर के विरुद्ध यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत पेश कर अवगत करवाया है कि वाकियात इस्तगासा हाजा इस प्रकार है कि राकेश पुत्र सायर राम जाति सांसी निवासी सांसी बस्ती जाजोलाई नाडी नागौर पुलिस थाना कोतवाली नागौर, जिला नागौर क्षेत्र का आले दर्जे का जुआरी है। जिसकी आम शोहरत खराब है। गैर सायल जुआ सट्टा के विभिन्न प्रकरणों में दण्डित हो रखा है। गैर सायल जुआ सट्टा की गतिविधियों में निरंतर सक्रिय है। जिसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किये जाकर कानूनी कार्यवाही की गई है। लेकिन अपराधी की गतिविधियों में कोई कमी नहीं आयी है। गैर सायल का इलाका हाजा में स्वच्छंद विचरण करना व निवासरत रहना कतेई उचित नहीं है। इसका इलाका हाजा से निष्कासन किया जाना ही एकमात्र विकल्प है। गैर सायल का कृत्य धारा 2(ख) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अंतर्गत गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः उक्त अपराधी को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही कर जिला नागौर से निष्कासित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

2-सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 30.06.2022 को गैर सायल ने जवाब पेश कर अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रकरण में सायल द्वारा अपने इस्तगासे के समर्थन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 13.03.2019 की फोटोप्रति, अन्तिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 29.03.2019 की फोटोप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10.01.2020 की फोटोप्रति, अन्तिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 29.02.2020 की फोटोप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 04.07.2021 की फोटोप्रति, अन्तिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.08.2021 की फोटोप्रति, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के प्रकरण संख्या 2471/21 की फोटोप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.07.2021 की फोटोप्रति, अन्तिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.09.2021 की फोटोप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 26.07.2021 की फोटोप्रति, अन्तिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 09.12.2021 की फोटोप्रति, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के प्रकरण नम्बर 2668/21 की फोटोप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 29.09.2021 की फोटोप्रति, अन्तिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 13.11.2021 की फोटोप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10.11.2021 की फोटोप्रति, अन्तिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 29.11.2021 की फोटोप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 08.12.2021 की फोटोप्रति, अन्तिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 02.01.2022 की फोटोप्रति, रोजनामचा दिनांक 22.03.2022 की फोटोप्रति पेश की गई।

Page 1 of 3

3-गैर सायल को सुना गया। परिवारी द्वारा अपने इस्तेमाल से मे कथन किया गया कि राकेश पुत्र सायर राम जाति सांसी निवासी सांसी बस्ती जाजोलाई नाडी नागौर पुलिस थाना कोतवाली नागौर, जिला नागौर का निवासी है। जो जुआ सट्टा की खाईवाली करते बार-बार दरतायाव किया जाकर न्यायालय में वालान पेश किये गये है, गैर सायल जुआ सट्टे करने का अभ्यस्त है तथा वर्ष 2019 से 2021 तक जुआ सट्टा की गतिविधियों में निरतर सक्रिय रहता आया है। इसका नागौर व आस पास के इलाकों में दशरत व आतंक फैलाया हुआ है। उक्त गैर सायल का इलाका हाजा में रसखंद गिरण करना एवं निवासरत रहना उचित नहीं है। राकेश पुत्र सायर राम जाति सांसी उम्र 32 वर्ष निवासी सांसी बस्ती जाजोलाई नाडी नागौर पुलिस थाना कोतवाली नागौर, जिला नागौर का कृत्य धारा 2(ख) राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गुण्डा की परिभाषा में आता है। उक्त अपराधी को धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत जिला नागौर से निष्कासित किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

4- पत्रावली का अवलोकन किया गया। राज. गुण्डा अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख) के तहत गुण्डा की परिभाषा दी गई है, जिसे निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है-

2 (ख) "गुण्डा" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो :-

1. या तो स्वयं या किसी गैंग के सदस्य या मुखिया के रूप में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 45 के अध्याय 16, अध्याय 17 अध्याय 22 के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 290 से 294 के अधीन दण्डनीय अपराधों का कमीशन अभ्यासतः करित करता है, या करित करने का प्रयास करता है या दृष्टरेण करता है; अथवा
 2. महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यवसाय का उन्मूलन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 104) के अधीन दोषसिद्ध किया गया हो; अथवा
 3. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम संख्यांक -11) के अधीन दो से अन्यून बार दोषसिद्ध किया गया हो; अथवा
 4. अफीम अधिनियम 1878 (1878 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 1) के अधीन दो से अन्यून बार दोषसिद्ध किया गया हो; अथवा
 5. राजस्थान सार्वजनिक जुआ अध्यादेश 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्यांक 48) के अधीन दो से अन्यून बार दोषसिद्ध किया गया हो; अथवा
 6. महिलाओं या लड़कियां को अभ्यासतः अश्लिष्ट टिप्पणी करता या छेड़ता हुआ पाया गया हो; अथवा
 7. हिंसात्मक कार्यों या बल प्रदर्शन द्वारा विधि पालक लोगों को अभिन्नासित करने का अभ्यारी पाया गया हो; अथवा
 8. जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने या बलवा करने का अभ्यारी हो या बलपूर्वक बन्द का संग्रहण करने का या जो उनो या अन्य के अक्षैय आर्थिक फायदे के लिए लोगों को धमकी देने का अभ्यासी दो या जो व्यक्तियों अथवा समिति को सत्रास, खतरा या नुकसान करने का अभ्यारी हो।
- 5-पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन से मैं पूर्ण सन्तुष्ट हूँ कि गैर सायल आदरना जुआरी प्रवीत होता है। जो धारा 2(ख) के अनुसार 8 बार दोष सिद्ध किया जा चुका है तथा अनेक अक्षैय आर्थिक फायदे के लिए अन्य व्यक्तियों एवं लोगों की सम्पत्ति को सत्रास, खतरा या नुकसान पहुँचाने की दृष्टि से अभ्यासित अपराधी होने से राज. गुण्डा अधिनियम की धारा 2(ख) के तहत गुण्डा की परिभाषा में आता है। गैर सायल के उक्त कृत्यों से नागौर व आस-पास के क्षेत्र में दशरत व आतंक फैला हुआ है।

अतः गौर सायल का जिला नागौर में रखच्छन्द विचरण करना व निवासरत रहना कतेई उचित नहीं होने से इसका इलाका झाजा से निष्कासन किया जाना ही उचित है।

आदेश

राकेश पुत्र सायर राम जाति सांसी उम्र 32 वर्ष निवासी सांसी बस्ती जाजोलाई नाडी नागौर पुलिस थाना कोतवाली नागौर, जिला नागौर का कृत्य धारा 2(ख) राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः उक्त अपराधी को धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही कर जिला नागौर से एक माह तक निष्कासन किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं जिला बीकानेर के नोखा थाने में अपनी गतिविधियों को दर्ज करवाएं तथा सूचना इस न्यायालय को दें। आदेश की पालना हेतु निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक नागौर / बीकानेर को भिजवाई जावे।

6-निर्णय आज दिनांक 20.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)

अति जिला मजिस्ट्रेट नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)